

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :- अवैध | संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- 76/16-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री राजेन्द्र बुद्ध यादव को अंचल निरीक्षक श्री गोवेन्दु यादव का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पुष्पा थाना नं0 092 गैरमजरूआ खाता नं0 24/45 दाग नं0 32 रकवा 10-12-12 किस्म पानी करी श्री रजुवा रविदास पिता इन्दा रविदास साकिन..... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री रजुवा रविदास को दिनांक 31/5/16 समय 11:00 AM पूर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

गोवेन्दु यादव

अंचल अधिकारी,
महागामा।

30/7/16

अभिलेख संख्या 76/16-17। रजुवा रविदास पिता इन्दा रविदास के पुत्र राजेन्द्र बुद्ध यादव को नया पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम किया। उन्होंने कहा कि 5 कठवा क्षेत्र में नया पंजी 2 का जमाबंदी कायम है। अंचल निरीक्षक गोवेन्दु यादव को नोटिश देकर हल्का कर्मचारी को निदेश दिया गया है कि प्रकृत पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम नहीं की जाएगी, बल्कि हल्का कर्मचारी को नोटिश देकर सत्यापन प्रक्रिया अगली तिथि के पूर्व समाप्त करें। अंचल दिनांक 11/5/16 को एवं।

अ0 गोवेन्दु यादव
30/7/16

sandha

30/7/16

11/8/16

आमिलेक उपस्थापित। उच्च शिक्षण उपस्थापित। हस्ताकेत हस्ताक्षर।
आमिलेक दिनांक 20/11 को लदे।


60
11/8/16
अ.अ.

11/8/16

31/7/2020

आमिलेक उपस्थापित।
मोडिफाई विगत करे।

मं.मं.
महागामा




05.01.2021


आमिलेक उपस्थापित।

राज उपनिरीक्षक - सह - प्रभाती अंत्यल निरीक्षक
महागामा से प्रसंग श्रमिक का नैतिक प्रतिवेदन के साथ
आमिलेकीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसका अवलोकन
किया प्रतिवेदन अनुसार अवेद्य सैद्धांतिक पंजी - II ईयर
का श्रमिक सहम पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में अवेद्य
श्रमिक ई० सी० स्कूल ECL होत के आधिग्रहण होत के
अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में आमिलेक की
कार्रवाई समाप्त की जाती है।

केखापित


अंत्यल आधिकारी
महागामा


अंत्यल आधिकारी
महागामा

11/8/16